(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3247–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 397/अपील/2013–14

रामचन्द्र पिता श्री पेमाजी
निवासी ग्राम बागफल तहसील
बडवाहा जिला खरगोन म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

शांतिलाल पिता छितुजी
निवासी ग्राम बागफल तहसील बड़वाहा
जिला खरगोन म0प्र0

–––––अनावेदक

– – – – – –

श्री आर0सी0 पाटिल, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 17 दिसम्बर 2014)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 397/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि उसे इन्दिरा आवास योजना में पट्टे पर दी थी, जिसका प्रमाण पत्र भी वर्ष 2011–12 का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ने 10–1–2013 को दिया था, परन्तु तहसील न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुये उसे अतिक्रामक मानकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जबकि वह उस भूमि पर 20/25 वर्षों से मकान बनाकर काबिज है। इसके अतिरिक्त अनावेदक तथा ग्राम के लोग भी मकान बनाकर काबिज हैं, परन्तु उनके विरूद्ध कब्जा अतिक्रमण मानकर कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की। उसी भूमि पर पंचायत भवन तथा प्राथमिक विद्यालय बना है। तहसीलदार ने शिकायत के आधार पर केवल निगरानीकर्ता का अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील करने पर उन्होंने भी इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि उसका भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है अपितु उसे इन्दिरा आवास में पट्टा दिया गया था। प्रतिप्रार्थी की शिकायत पर अतिक्रमण मानकर कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू की गई जबकि पटवारी का कोई प्रतिवेदन नहीं था। किसी निजी व्यक्ति की शिकायत पर अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए था। मान0 अपर आयुक्त ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया तथा उसकी अपील निरस्त कर दी।

3/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपने जबाव में यह स्वीकार किया है कि ग्राम बागफल की भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 0.116 हेक्टेयर मद चरनोई भूमि पर 15X30=450 वर्गफीट पर आवासीय मकान बनाया गया है। अभिलेखों के अनुसार विचाराधीन भूमि चरनोई की है, आबादी भूमि नहीं है। आवेदक का कहना है कि उसे इन्दिरा आवास योजना में पट्टा मिला था, परन्तु जो दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत है वह

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बडवाह द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है जिसमें वर्ष 2011—12 में आवेदक को इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत कुटीर का लाभ दिया गया है। इस प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक का इन्दिरा आवास योजना में भूमि का पट्टा भी दिया है तथा पट्टे की भूमि कौन सी है। केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी के उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसे विचाराधीन भूमि का पट्टा दिया गया था। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की गई है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर

द्वारा कार्याल... हैं तथा ... वास हेतु मका...